राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2665/2016

कैलाश चन्द मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण डिविजन–II, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन, बस्सी, जिला जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2016
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में अपने सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 01.06.2015 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2015 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसकी जन्म तिथि 05.03.1958 है। ऐसे में अपीलार्थी की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31.03.2018 को पूर्ण करता। अपीलार्थी को गलत तरीके से दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त किया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की जन्म तिथि 01.07.1955 मानते हुए अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त किया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 05.03.1958 प्रत्यर्थी विभाग ने मानी है क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जो दिनांक 19.06.1981 को प्रकाशित की गयी, उसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 05.03.1958 अंकित है। इसके पश्चात एक अन्य वरिष्ठता सूची दिनांक 20.07.1984 को प्रकाशित की गयी, जिसमें भी अपीलार्थी की जन्म तिथि 05.03.1958 अंकित की गयी है। इस प्रकार

अपीलार्थी को गलत तरीके से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त किया गया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के मूल सेवाभिलेख में जन्म तिथि 01.07.1955 अंकित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त किया गया है। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने अपनी जन्म तिथि 05.03.1958 को अवगत कराया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आठवी कक्षा उत्तीर्ण की छाया प्रति जिसमें कि जन्म दिनांक स्पष्ट नहीं है, प्रमाणिकरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारभिक शिक्षा, जयपुर को भिजवाये जाने पर अवगत करवाया है कि उनका कार्यकाल वर्ष 1991 से पूर्व अस्तित्व में नहीं था एवं टी.सी. वर्ष 1977 की है, जो कार्यालय अस्तित्व में आने से पूर्व की है। जिससे टी.सी. सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के तथ्यों से वर्तमान अपील का कोई वास्ता नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ सेवाभिलेख अनुलग्नक–3 के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 01.07.1955 अंकित है। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग में अपीलार्थी के सेवाभिलेख में उसकी जन्म तिथि 01.07.1955 अंकित है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अपीलार्थी की कोई अन्य जन्म तिथि प्रमाणित होती हो। केवल मात्र वरिष्ठता सूची में अंकित जन्म तिथि के आधार पर सेवाभिलेख को गलत होना नहीं माना जा सकता। सेवाभिलेख सेवा में आने के समय तैयार किया जाता है, जिसमें अंकित जन्म तिथि को मानकर अपीलार्थी को सेवानिवृत्त किये जाने में हम प्रत्यर्थी विभाग की कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)